न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 23/2020

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		आसुसिंह पुत्र लूम्भसिंह जाति राजपुरोहित निवासी जसोल (आंकलिया महादेव मंदिर के पास) जसोल जिला बाड़मेर (मैसर्स आसुसिंह लूम्बसिंह, आर जे 39 एस एफ 6782 कोर्ट के पीछे बालोतरा जिला बाड़मेर(दुपहिया वाहन मोटरसाईकल) का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 20.07.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक **23.10.2019** को दौरान गश्त अप्रार्थी के दुपहिया वाहन मैसर्स आसुसिंह लूम्बसिंह, आर जे 39 एस एफ 6782 कोर्ट के पीछे बालोतरा जिला बाड़मेर (मोटरसाईकल) पर निरीक्षण के दौरान एक कंटेनर में 10 किलो विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **2 किलो दूध (मिक्स)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1123** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ग) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य [illegible] **(मिक्स)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** का नमूना अमानक **(sub-statndard)** [illegible]जाने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:52:22 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अप्रार्थी ने किसी अन्य व्यक्ति से दूध खरीदा था, वह दूध अप्रार्थी बाजार में बेचता है जिससे अप्रार्थी अपना जीवन–यापन व परिवार का गुजारा चलाता है। अप्रार्थी ने जानबूझकर किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाये।

3. प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत परिवाद एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के दुपहिया वाहन से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **25.11.2019** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर अप्रार्थी द्वारा उस पर जवाब में प्रकट किया कि उसने किसी अन्य व्यक्ति से दूध खरीदा था, वह दूध अप्रार्थी बाजार में बेचता है जिससे वह अपना जीवन–यापन व परिवार का गुजारा चलाता है। अप्रार्थी ने जानबूझकर किसी प्रकार का अपराध नहीं किया है। इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी के दुपहिया वाहन से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस जवाब नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 5,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 20.07.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:52:22 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर